

# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा  
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 08.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री प्रदीप यादव स०वि०स०	<p>कृषि विभाग द्वारा आधे दर, अनुदानित दर पर राज्य के किसानों को खरीफ एवं अन्य फसलों का बीज उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2015-16 में खरीफ धान का उन्नत बीज एवं हाईब्रीड बीज हजारों किंचटल राज्य के किसानों को उपलब्ध कराया गया, सरकार का दावा है। लेकिन सच्चाई इससे कोसो दूर है। गोड्डा जिला में जब जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से हमने धान बीज आपूर्ति का रिपोर्ट मांगा तो उन्होंने पहली रिपोर्ट 55 सौ किंचटल धान वितरण की बात स्वीकार की लेकिन स्थल निरीक्षण में यह गलत साबित हुआ। उसी प्रकार की बातें गिरिडीह, देवघर, लोहरदगा, दुमका, राँची, खूँटी एवं अन्य जिलों में भी अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक हुआ। इसके पूर्व के वर्षों में इसी प्रकार होता रहा है। बीज प्राप्त करने वाले किसानों के फर्जी नाम, आपूर्तिकर्ता एवं सत्यापन पदाधिकारी की मिलीभगत से फर्जी दावा पेश कर करोड़ों रुपये का गोलमाल वर्ष 2015-16 में एवं पूर्व के वर्षों में भी प्रमाणित हुआ है।</p> <p>अतः उपरोक्त वर्णित जिलों में प्राप्तकर्ता एवं आपूर्तिकर्ता का नाम प्रमाणिकता से सार्वजनिक हो एवं दोषी पर कार्यवाई हो, इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता

कृ०पृ०३०

01.	02.	03.	04.
02-	<p>सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया बिरंची नारायण एवं श्री राधाकृष्ण किशोर स०वि०स०</p>	<p>पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड ग्राम- सेमरा में एवं नवसृजित प्रखण्ड रामगढ़ के ग्राम- कुटी में वन विभाग द्वारा पौधा रोपण एवं कैम्पस द्वारा पौधारोपण की घेराबन्दी में वर्ष- 2014-15 में 12 से 14 लाख रु० का कार्य कागजों पर दिखाकर निकासी कर ली गई है जबकि धरातल पर यह कार्य शून्य के बराबर है। क्षेत्र दौरा के क्रम में जनता से मिली शिकायत के आधार पर जितने पौधे लगाने की बात कही गई है उतनी जमीन पर नहीं हुई है।</p> <p>अतः चलते सत्र में पलामू जिले एवं जिले के उक्त ग्राम में वन विभाग द्वारा जो कार्य कराये गये है उसकी जाँच आवश्यक है तथा इसमें संलिप्त पदा० पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके इसके लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।</p>	<p>वन एवं पर्यावरण</p>
03-	<p>डॉ० जीतू चरण राम स०वि०स०</p>	<p>पलामू प्रमण्डल के विश्रामपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत (1) गढ़वा जिला के काण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत खरसोता मोड़ से गरदाहा-पतीला होते कसनप तक दूरी 22 कि०मी० तथा पलामू जिला में N.H. 75 ग्राम-वचेरिया से दुर्गामाईस होते औरंगाबाद मुख्य पथ तक 22 K.M. तक R.E.O. का सड़क है, जिसका स्थिति जर्जर है तथा आवागमन वाधित है। उक्त सड़क आदिवासी, पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र है।</p> <p>अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि उपरोक्त दोनों पथ को पथ निर्माण विभाग के अधिग्रहण कर निर्माण जनहित में कराया जाय।</p>	<p>पथ निर्माण</p>
04	<p>श्री योगेश्वर महतो स०वि०स०</p>	<p>पलामू जिला के काण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत गत 10 वर्ष पूर्व से "झाड़ी" जलाशय योजना प्राक्कलन लघुसिंचाई विभाग द्वारा तैयार कराया गया था, परन्तु अभी तक कार्यान्वयन नहीं कराया गया है। उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावी क्षेत्र है, जहाँ सिंचाई के अभाव में यहाँ के जनता को रोजी-रोटी हेतु बाहर जाना पड़ता है।</p> <p>अतः जनहित में "झाड़ी" जलाशय योजना का निर्माण कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	<p>जल संसाधन</p>

05-	श्री केदार हजरा एवं श्री अशोक कुमार स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के जमुआ चौक पर सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने से स्थानीय जनता वेरोजगार हो गए है। ज्ञात हो कि अतिक्रमण की पीछे की जमीन स्थानीय जनता की रैती प्लॉट थी लेकिन वन विभाग के कार्यालय तथा सरकारी कार्य सुचारु रूप से चले इसलिए स्थानीय जनता द्वारा सरकार को दान दी गई थी। अतः अतिक्रमण के बाद जो खाली भूभाग है, उसपर दुकान बनाकर विस्थापितों को आवंटित कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी
-----	--	--	--------------------------------

राँची,  
दिनांक- 08 मार्च, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह  
प्रभारी सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-<sup>2050</sup>...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 6/3/16  
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/ वन एवं पर्यावरण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन  
05/03/16  
(नीलेश रंजन)  
अवर सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-<sup>2050</sup>...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 6/3/16  
प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन  
05/03/16  
अवर सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

05/03